पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०– 02 / 2007 :–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

श्री नरेश कुमार, तदेन कनीय अभियंता, (सम्प्रति सेवानिवृत) लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो के द्वारा उक्त प्रमण्डल में वर्ष 2003–04 में स्वीकृत माईक्रोलिफ्ट योजना में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक– 3674 दिनांक– 17.07.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा, विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय पत्रांक– 2078 दिनांक– 02.05.2017 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–139 के अन्तर्गत "देय पेंशन से 15% की कटौती पाँच वर्षों के लिए" का दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की पुनः समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा बरती गयी अनियमितताओं की जिम्मेवारी संवेदक एवं स्थानान्तरण के पश्चात् प्रभार ग्रहण करनेवाले अभियंता पर डाली गयी है जो स्वीकार योग्य नहीं है। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री नरेश कुमार, सेवानिवृत कनीय अभियंता के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके "पेंशन से 15% राशि की कटौती पाँच वर्षों के लिए" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

4. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / –
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 3914 राँची / दिनांक 12-09-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा० एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, (प्रभारी प्रशाखा–03), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो / श्री नरेश कुमार, सेवानिवृत कनीय अभियंता, सुन्दर बिहार, तिरील भट्ठी रोड, कोकर, राँची, झारखण्ड / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/09/17
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव